

राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड

फोन नं: 0141-2228066, 2228064
सीआईएन: U24232RJ2011SGC035067

गौधी ब्लॉक, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर - 302005 (राज.)
फैक्स नं 0141-2228065

वेबसाईट: www.rmssc.health.rajasthan.gov.in
ई-मेल: edprmsc@nic.in

क्रमांक: F.02(318)/RMSCL/PROCUREMENT/DRUG/NIB-09/2021/1588

Dated: 01/10/21

कार्यालय आदेश

भेषज एवं औषधियों की आपूर्ति एवं दर संविदा के लिये जारी की गई निविदा निविदा सूचना क्रमांक: F.02(318)/RMSCL/PROCUREMENT/DRUG/NIB-09/2021/575 Dated:-16.04.2021 के अन्तर्गत अनुमोदित निम्न आईटमों की दर संविदा में कॉलम संख्या 6 के अनुसार दर संविदा समाप्ति दिनांक से 3 माह (कॉलम संख्या 7 में अंकित तिथि तक) या नवीन निविदा (एग्रीमेंट होने तक) की दिनांक तक, जो भी पहले हो तक की वृद्धि की जाती है:-

S.No.	Item Code	Product Descriptions	Packing unit	Name of Firm	Rate Contract Validity	Rate contract extended up to
1	2	3	4	5	6	7
1	NE 31	Hand Rub In 500 ml bottles with pump, combination (2-Propanol, 1-Propanol & Ethylhexadecyl-demethyl Ammonium ethylsulphate Disinfectant Solution, Alcoholic Rub in Hand Disinfectant (with atleast 60% alcohol), Broad Spectrum Antimicrobial Effective against Bacteria, Fungi, Viruses	500 ml Bottle	Medipol Pharmaceuticals I Pvt. Ltd	30.09.2021	31.12.2021
				Babu Ram Om Prakash	30.09.2021	31.12.2021
				Sanmed Healthcare Pvt Ltd.	30.09.2021	31.12.2021

नोट:- दिनांक 09.09.2020 को हुयी बोर्ड मीटिंग में लिये गये निर्णय "In case of extension of rate contract, if new tender has been invited, in such case, it should be mentioned in extension agreement that if rate received in new bid of same firm is lower than previous approved rate, then payment to the previous L1 firm shall be made as per price fall clause." के अनुसार इस अवधि में सप्लाय की गयी औषधियों का भुगतान नवीन निविदा में प्राप्त दरों एवं पुरानी दरों में जो भी कम हो के अनुसार किया जावेगा।

कार्यकारी निदेशक (प्रोक्यू)
आरएमएससीएल

Dated: 01/10/21

क्रमांक: F.02(318)/RMSCL/PROCUREMENT/DRUG/NIB-09/2021/1588
प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- विशेषाधिकारी, आरएमएससी को दी जाकर लेख है कि कयादेश देने से पूर्व विद्यमान बैंक गारण्टी की वैधता अवधि की सुनिश्चिता तथा मूल दर संविदा से मिलान कर लें।
- कार्यकारी निदेशक, (वित्त/क्यू.सी) आरएमएससी।
- संयुक्त निदेशक, आईटी, आरएमएससी

वरिष्ठ प्रबन्धक (पी.)
आरएमएससीएल